राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः– एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019

जयपुर, दिनांक : 06 OCT 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेटों का चयन एवं नियोजन किये जाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.08.2015, 17.06.2019 एवं 03.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन बाबत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशानुसार मेट के चयन के संबंध में निम्न प्राथमिकता होगी –

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्य।
2. विधवा परित्यकता अथवा एकल महिला, विकलांग।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य।
4. पिछडा वर्ग के सदस्य।
5. सामान्य वर्ग।

उक्त सभी श्रेणीयों में उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जावे। यदि इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं हो, तो अन्य श्रेणी से 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण किया जावे।

कार्यो की निगरानी हेतु निम्न परिमाप के अनुसार मेट का नियोजन किया जावेः–

क.सं.	श्रमिक संख्या	मेट संख्या
1	20 से 40	एक
2	40 से अधिक	प्रति 20 से 40 पर एक अतिरिक्त

योजनान्तर्गत मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर तैयार किये गये पैनल में से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावे। मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक किसी मेट को पुनः कार्यो पर नियोजित नहीं किया जावे। पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जावे। महिला मेटों के संबंध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिवस से अधिक भी नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा संभव नियोजित नहीं किया जावे। नियोजित मेट के विरूद्ध शिकायते प्राप्त होने या कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारण, कार्यक्रम अधिकारी बिना

Scanned with CamScanner

किसी नोटिस के मेट को हटाकर ब्लैकलिस्ट कर सकेंगे तथा ऐसे मेटों का पुनः नियोजन अगले एक वर्ष के लिए नहीं किया जायेगा।

किसी भी कार्य पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस स्वंय ही जिम्मेदार होगें। **मेट चयन, प्रशिक्षण एवं नियोजन संबंधी शेष निर्देश संदर्भित पत्रों में अंकितानुसार यथावत प्रभावी रहेगें।** कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4 अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस जयपुर।
5 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6 अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर।
7 अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8 विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9 रिंकु छीपा, एम.आई.एस. मैनेजर, ईजीएस को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner